चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 21.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस ने 01 वांछित व 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(i).उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्य चौकी सीतापुर तथा उनके हमराही आरक्षी रविशंकर द्वारा मु0अ0सं0 36/2024 धारा 363,366ए भादवि0 के वांछित अभियुक्त सोनू उर्फ अजय पुत्र नत्थु खांगर निवासी गोकुलपुरी शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii).चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री सत्यमपति त्रिपाठी तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 851/2017 धारा 147,323,504,506 भादवि की वारण्टी अभियुक्ता 1.रेशमा पुत्री छोट्टन 2.शफीना बनों पत्नी छोट्टन 3. शब्बे उर्फ शबनम पुत्री छोट्टन निवासीगण आरखन मोहल्ला शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री गजबेय आलम थाना कोतवाली तथा उ0नि0 श्री अंशुल कुमार द्वारा मु0नं0 167/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के वारण्टी अभियुक्त पिंटू यादव पुत्र कैलाश चन्द्र यादव निवासी मुलायम नगर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मानकिपुर श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में थाना मानिकपुर पुलिस ने 24 घण्टे के अन्दर चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये एक चोर को चोरी की बाइक व अवैध तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि कल दिनाँक 20.4.2024 को वादी श्री रोहित कुमार सतनामी पुत्र कमलेश कुमार सतनामी निवासी सितपुरा ऊथवाँ टोला नई बस्ती थाना नागौद जिला सतना (म0प्र) द्वारा थाना मानिकपुर में सूचना दी गयी कि ग्राम बरामहमाफी से अज्ञात चोर ने उनकी अपाचे मोटरसाइकिल रजि0 नं0 MP19 ZA9221 चोरी कर ली है। इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 78/24 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर मोटरसाइकिल की बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उ0नि0 श्री मुकेश सिंह परिहार को लगाया गया। उ0नि0 श्री मुकेश सिंह परिहार एवं उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये सुरागरसी पतारसी से आज दिनाँक 21.04.2024 को डाडी कोलानी मोड़ के पास से अभियुक्त पंकज पुत्र दुर्जन निवासी रामपुर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल रजि0 नं0 MP19 ZA9221 के साथ गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त की जामा तलाशी से अभियुक्त के कब्जे 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुये। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी तथा अवैध तमंचा बरामदगी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 79/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त का नाम पताः-

पंकज पुत्र दुर्जन निवासी रामपुर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

1.चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल रजि0 नं0 MP19 ZA9221
2.01 अदद तमंचा 315 बोर
3.02 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री मुकेश सिंह परिहार थाना मानकिपुर
2.उ0नि0 यू0टी0 श्री पवन चौधरी
3.आरक्षी जलील अहमद

(6). आज दिनाँक 20.04.024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में प्रभारी यातायात श्री शैलेन्द्र सिंह द्वारा यातायात जागरुकता अभियान के अंर्तगत यातायात नियमों का उल्लघंन कर यात्रा करने वाले दो पहिया/चार पहिया/ई रिक्शा/आटो टैक्सी/टेम्पो वाहन चालकों से कुल 2,35,100 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया जिसमें नाबालिक द्वारा ई रिक्शा चलवाने वाले वाहन स्वामी का 35,000 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया साथ ही 02 टेंपो एवं 02 ई-रिक्शा कुल वाहनों को सीज किया गया। वाहन चालकों को जागरूक करते हुए प्रभारी यातायात ने सभी को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि सड़क पर यात्रा कर रहे यात्री पुलिस से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए उक्त ट्रैफिक नियमों का पालन करें। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तैनात है कि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना घटित न हो पाए इसीलिए सभी वाहन चालकों से अनुरोध है कि वह यातायात नियमों का पालन करें।

(7). आज दिनाँक 21.04.2024 को क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जय करन सिंह द्वारा थाना बरगढ़ में थाना बरगढ़ के विवेचको का अर्दली रुम किया गया। ममहोदय द्वारा अर्दली रुम के दौरान सम्मन तामिला,बीडब्ल्यू,एनबीडब्ल्यू,82सीआरपीसी/83सीआरपीसी की तामिला,आरोप पत्र,अंतिम पत्र एवं विशेष अभियान चलाकर विवेचकों को गुण दोष के आधार पर विवेचना के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये।

तत्पश्चात महोदया द्वारा आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराने सम्बन्धी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

(8). आज दिनाँक-21.04.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की थाना मारकुंडी का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय में रजिस्टरों का अवलोकन कर उचित रख-रखाव व

अद्यवधिक करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। महोदय द्वारा सीसीटीएनएस कार्यालय, मालखाना, भोजनालय, थाना परिसर का भ्रमण कर थानाध्यक्ष मारकुंडी श्री मनीष कुमार को शस्त्रों का पुलिस लाइन आर्मरी से सत्यापन कराने,प्राइवेट शस्त्रों के रख-रखाव हेतु अलग व्यवस्था किया गया।

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में कोतवाली कर्वी पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 127/2024 धारा 419,420,467,468 भादवि0 व 6/10 परीक्षा अधिनियम के मुख्य आरोपी अभियुक्त दर्पण सरोज उर्फ डी0पी0 पुत्र सैधई प्रसाद निवासी ग्राम ऊकोठी थाना होलागढ़ जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.02.2024 को जनपद चित्रकूट में आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा में स्वामी रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय सेन्टर पर द्वितीय पाली में संदीप कुमार पुत्र रामधनी यादव निवासी ठाकुर का पुरवा मुतर्जापुर तहसील कुण्डा थाना संग्रामगढ़ जिला प्रतापगढ़ के स्थान पर अजय कुमार पुत्र रामकिशोर निवासी तुलापुर मुकुंदपुर तहसील सोरांव थाना होलागढ़ जिला प्रयागराज परीक्षा दे रहा था । पूंछतांछ में अजय कुमार ने बताया कि एक डी0पी0 नाम के व्यक्ति के माध्यम से 05 लाख रूपये में परीक्षा पास कराये जाने की हमारी डील हुई थी । प्रकरण के सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 127/2024 धारा 419,420,467,468 भादवि0 व 6/10 परीक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

मुख्य आरोपी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह ,उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह एवं उनकी टीम द्वारा विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त दर्पण सरोज उर्फ डी0पी0 पुत्र सैधई प्रसाद निवासी ग्राम ऊकोठी थाना होलागढ़ जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह

2.उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह

3.आरक्षी नीतू द्विवेदी